प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 29.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6882 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6882 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत हावपुर भड़ारी से कालर द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 व्यक्ति (1. किशन यादव पुत्र श्रीराम स्वरूप यादव निवासी हावपुर भड़ारी थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट/विवाद में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

__पीआरवी स्टाफ-__ आा0 रजनीश शरण साहू, आ0 रोहित यादव, हो0चा0 देवेन्द्र नारायण शुक्ला।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 228 वाहनों से 2,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 29.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 228 वाहनों से 2,40,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 11 स्थानो पर लगवाये गये 40 सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत आज दिनाँक 29.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 11 स्थानों पर 40 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 07 स्थानो पर 20 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरा, थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद, एसओजी टीम, सर्विलांस सेल पुलिस टीम द्वारा नकली सोने की ईंट देकर 08 लाख रुपए की ठगी व धोखाधड़ी का सफल अनावरण किया गया।

घटना विवरण:-
दिनांक 26.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी गल्ला व्यवसायी श्री सन्नी कुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी खड्डा थाना खड्डा जनपद संतकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाँक 23.03.2026 को 04 व्यक्तियों द्वारा मिलकर नकली गोल्ड देकर 08 लाख रुपए ठगी व धोखाधड़ी कर लिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2026 धारा 352/318(4)/319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 29.03.2026 को कुल 02 अभियुक्तगणो को स्पर्श हास्पिटल से पहले कट से डडवा नहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01.प्रदीप कुमार राव पुत्र स्व0 संतकुमार निवासी लोहदर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती (हा0मु0 नौतनवा बाईपास व्हाइट हाउस मैरेज हाल के बगल मे किराये की मकान पुनित तिवारी का) थाना नौतनवा जनपद महराजगंज उम्र करीब 47 वर्ष।
02.संजय चौधरी पुत्र संतराम चौधरी निवासी बैरनपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर उम्र करीब 42 वर्ष(होमगार्ड)।

बरामदगी का विवरणः-
08 लाख रुपया नगद, 03 अदद मोबाइल, 02 अदद पीली धातु का बिस्कुट वजन करीब 200 ग्राम, 01 सेट वर्दी मय बेल्ट व नेम प्लेट, 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद मोटरसाइकिल एच एफ डिलक्स(UP51AS 5348)।

आगामी कार्रवाई:-
कुल 02 अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो प्रदीप कुमार राव द्वारा बताया कि दिनांक 23.03.2026 को मोबाइल से वार्ता के क्रम में सन्नी कुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी खड्डा जनपद कुशीनगर को सोने का बिस्कुट देने हेतु बुलाया था, सन्नी कुमार गुप्ता कुर्थिया पेट्रोल पम्प के दक्षिण पोखरा के बगल मे उपस्थित आये, जिनसे सोने का बिस्कुट देकर आठ लाख रुपया ले लिया गया। पहले से वार्ता के क्रम में संजय चौधरी बावर्दी मौके पर पहुंचे और 08 लाख रुपये बैग सहित मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर चले गये तथा रुपये को हम लोग सुरक्षित स्थान पर रख दिये तथा संजय चौधरी अपनी ड्यूटी करने लगे। इसी बीच अखबार से सूचना मिली की सन्नी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद मे मुकदमा लिखवाया गया है। इस जानकारी के क्रम मे आज हम लोग उक्त रुपये को लेकर नौतनवा जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये।